उत्तर प्रदेश शासन

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2

संख्या-4/2016/2091/78-2-2015-60आई.टी./2015

लखनऊः दिनांकः 12 जनवरी, 2016

शुद्धि पत्र

मेगा कॉल सेन्टर की स्थापना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में पारित प्रथम अनुपूरक अनुदान मांगो में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के आदेश संख्या-1541/78-2-2015-60आई.टी./2015, दिनांक 26.11.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मेगा कॉल सेन्टर की स्थापना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में पारित प्रथम अनुपूरक अनुदान मांगो में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति निर्गत की गई है, के प्रस्तर-7 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न व्यवस्था की जाती है:-

शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्था	**संशोधित/प्रतिस्थापित व्यवस्था**
प्रस्तर-7 **लेखाशीर्ष-**"17-मेगा काल सेन्टर की स्थापना के लिए कन्सलटेंट संस्था तथा सिस्टम इन्टीग्रेटर का भुगतान"	**प्रस्तर-7** **लेखाशीर्ष-** "19-मेगा काल सेन्टर की स्थापना के लिए कन्सलटेंट संस्था तथा सिस्टम इन्टीग्रेटर का भुगतान"

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। अन्य शर्ते पूर्ववत रहेंगी।

(भूपेन्द्र एस0 चौधरी)
विशेष सचिव

संख्या- 4/2016/2091(1)/78-2-2015 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- उद्योग निदेशक, उद्योग,कानपुर
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
6- संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0,लखनऊ।
8- राज्य समन्वयक] सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।
9- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4 ।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2 ।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in